

संख्या: 438 / XVII-2 / 18-19 (ओ0बी0सी0) / 2016

प्रेषक,

मायावती ढकरियाल,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
समाज कल्याण उत्तराखण्ड,  
हल्द्वानी नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 22 अक्टूबर, 2018

विषय: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति वितरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-1711 / XVII-2 / 18-19 (ओ0बी0सी0) / 2016 दिनांक 11.01.2017 के प्रस्तर-2 में उल्लिखित प्रावधान में कतिपय विरोधाभाषी तथ्य होने के दृष्टिगत प्रकरण मा0 मंत्रिमण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति के अशासकीय विद्यालयों के छात्रों को वितरण कार्य अग्रिम आदेश तक तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाता है। कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीया,

(मायावती ढकरियाल)  
संयुक्त सचिव।

संख्या: / XVII-2 / 18-19 (ओ0बी0सी0) / 2016 तददिनांकित

प्रतिलिपि: समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र कुमार भट्ट)  
उप सचिव।

2071  
11/10/2018